

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2021/
प्रति,

5483

छिंदवाड़ा दिनांक 18/10/21

अनुविभागीय अधिकारी

लोक निर्माण विभाग (भ/स)

उपसंभाग क्र. 1 छिंदवाड़ा

विषय :- नवेंगांव घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनग्राम से बरेलीपार मार्ग लं. 4.30 कि.मी. के एकरेखण में आने वाली वन भूमि में मार्ग निर्माण के संबंध में। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/144191/2021)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 4623 दिनांक 28.09.2021

- ❖❖❖ -

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा के वनपरिक्षेत्र जामई अंतर्गत आपके द्वारा नवेंगांव घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनग्राम से बरेलीपार मार्ग लं. 4.30 कि.मी. के एकरेखण में आने वाली वन भूमि में मार्ग निर्माण के संबंध में प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया है।

प्रस्ताव में पंजीयन शुल्क की राशि रु. 1000.00 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रु. 5000.00 कुल राशि रु. 6000.00 का (छः हजार रुपये मात्र) को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों में जमा कर, चालान की एक प्रति कोषालय से सत्यापित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित क्षेत्र का वनपरिक्षेत्राधिकारी सांवरी के साथ मिलकर संयुक्त स्थल निरीक्षण करें, प्रस्तावित क्षेत्र में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि कितनी आ रही है का भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./2021/

5484

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 18/10/21

प्रतिलिपि :- (1) उपवनमंडलाधिकारी परासिया/तामिया सा. उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके वनपरिक्षेत्र अंतर्गत नवेंगांव घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनग्राम से बरेलीपार मार्ग लं. 4.30 कि.मी. के एकरेखण में आने वाली वन भूमि में मार्ग निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र का मौके का स्थल निरीक्षण आवेदक संस्थान के साथ मिलकर प्रतिवेदन

611

अक्षांश-देशांस सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्रस्तावित क्षेत्र में वन भूमि के अलावा राजस्व वन भूमि कितनी प्रभावित हो रही है का भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(3) वनपरिक्षेत्राधिकारी तामिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके वन परिक्षेत्र अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले ग्राम लहगडुआ प.ह.न. 30 , ख.नं. 71/1 रकबा 53.754 हे0 में से 1.69 हे0 प्राप्त गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा